



झारखण्ड सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची ।

पत्रांक— 1591

प्रेषक,

गौरीशंकर मिंज, भा0प्र0से0  
आदिवासी कल्याण आयुक्त ।

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
झारखण्ड, राँची ।

राँची, दिनांक—1.11.2017


विषय : — विज्ञापन प्रकाशन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2017-18 से संबंधित सूचना विज्ञापन प्रकाशन हेतु तैयार की गई है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन सामग्री को झारखण्ड राज्य के सभी दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी, उर्दू एवं अंग्रेजी) में बड़े अक्षरों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

  
आदिवासी कल्याण आयुक्त ।





झारखण्ड सरकार

## कल्याण विभाग

**प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2017-18 हेतु आवेदन से सम्बन्धित आवश्यक सूचना**  
**(P.R. No. 166390)**

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष-2017-18 में पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन (P.R. No.166390) के क्रम में पूर्व से निर्धारित तिथि को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

**1. ऑनलाईन आवेदन की समय सीमा:-**

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही प्रारम्भ होने की तिथि	कार्यवाही के लिए निर्धारित अंतिम तिथि
1	संबन्धित छात्र-छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया	3 <sup>rd</sup> November 2017	17 <sup>th</sup> November 2017
2	कॉलेज/संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों का पंजीकरण	-	-
3	संस्थान द्वारा आवेदनों का प्रमाणीकरण एवं अग्रसारण की अंतिम तिथि	-	30 <sup>th</sup> November 2017
4	जिला स्तर पर छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक	-	30 <sup>th</sup> December 2017
5	छात्रवृत्ति के भुगतान की प्रक्रिया	-	15 <sup>th</sup> January 2018

पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार शेष दिशा निर्देश (Website-ekalyan.cgg.gov.in पर उपलब्ध है) यथावत रहेगा।

*W. K. Singh*  
1.11.17  
आदिवासी कल्याण आयुक्त।